राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24

Email id: haldharkisankgn@gmail.com

RNI NO. MPHIN/2022/85285

वर्ष 03 अंक 12 | फरवरी 2025 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

बजट: किसानों के लिए धन धान्य योजना, 3 लाख से 5 लाख की केसीसी ऋण लिमिट

हलधर किसान

नई दिल्ली। बजट भाषण में इस बार सबसे ज्यादा जोर कृषि सेक्टर पर दिया गया। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इसे अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन बताया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की विकास यात्रा के लिए पूरे कृषि बजट में कई दूरगामी नीतिगत मामलों की तस्वीर पेश की।

कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई। इससे लगभग 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों एवं पशुपालकों को लघु अवधि के ऋणों की सुविधा मिलेगी।

क्या है किसानों की नई योजना?

. किसानों को प्रौद्योगिकी सहायता दी जाएगी, जो वस्त्र क्षेत्र के विकास में सहायक होगी। किसानों की आय बढ़ेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान आएगी।

. बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन व्यवस्था में सुधार आएगा। . लाख टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक प्लांट लगाने की घोषणा की गई है देश में उर्वरक संकट को देखते हुए असम के नामरूप में, .प्रधानमंत्री धन.धान्य कृषि योजना. कृषि जिला विकास कार्यक्रमः 100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम के तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। सरकार की योजनाओं से देश की खेती.किसानी उन्नत होने के साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।

भारत का फल और सब्जी निर्यात 123 देशों तक पहुंच चुका है, 3 वर्षों में 17 नए बाजार जुड़े

नई दिल्ली। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण.एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं से भारत के फल और सब्जी निर्यात में 47.3 की वृद्धि हुई है।

वाणिज्य विभाग भारत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से तीन व्यापक क्षेत्रों में 15वें वित्त आयोग चक्र (2021.22 से 2025.26) के लिए एपीडा की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत फलों व सब्जियों सहित अपने अन्य अधिसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में एपीडा के अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे के विकास के लक्ष्य के साथ व्यापक योजना . पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैकहाउस सुविधाओं के चलते भारत का फल और सब्जी निर्यात 123 देशों तक पहुंच चुका है, 3 वर्षों में 17 नए बाजार जुड़े है। एपीडा की वित्तीय सहायता, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन आदि के साथ प्री.कूलिंग यूनिट व केले जैसी फसलों की हैंडलिंग हेतु केबल सिस्टम, शिपमेंट पूर्व आवश्यक सुविधाएं जैसे इरेडिएशन, वाष्प गर्मी उपचार, गर्म पानी डिप उपचार और सामान्य बुनियादी सुविधाएं सुविधाएं, रीफर वैन तथा व्यक्तिगत निर्यातकों के मौजूदा बुनियादी ढांचे में मिसिंग गैप। गुणवत्ता विकास के उद्देश्य पूर्ति की योजना . प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों की खरीद, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, पानी, मिट्टी, अवशेषों और कीटनाशकों आदि की ट्रेसेबिलिटी और परीक्षण हेतु खेत स्तर के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

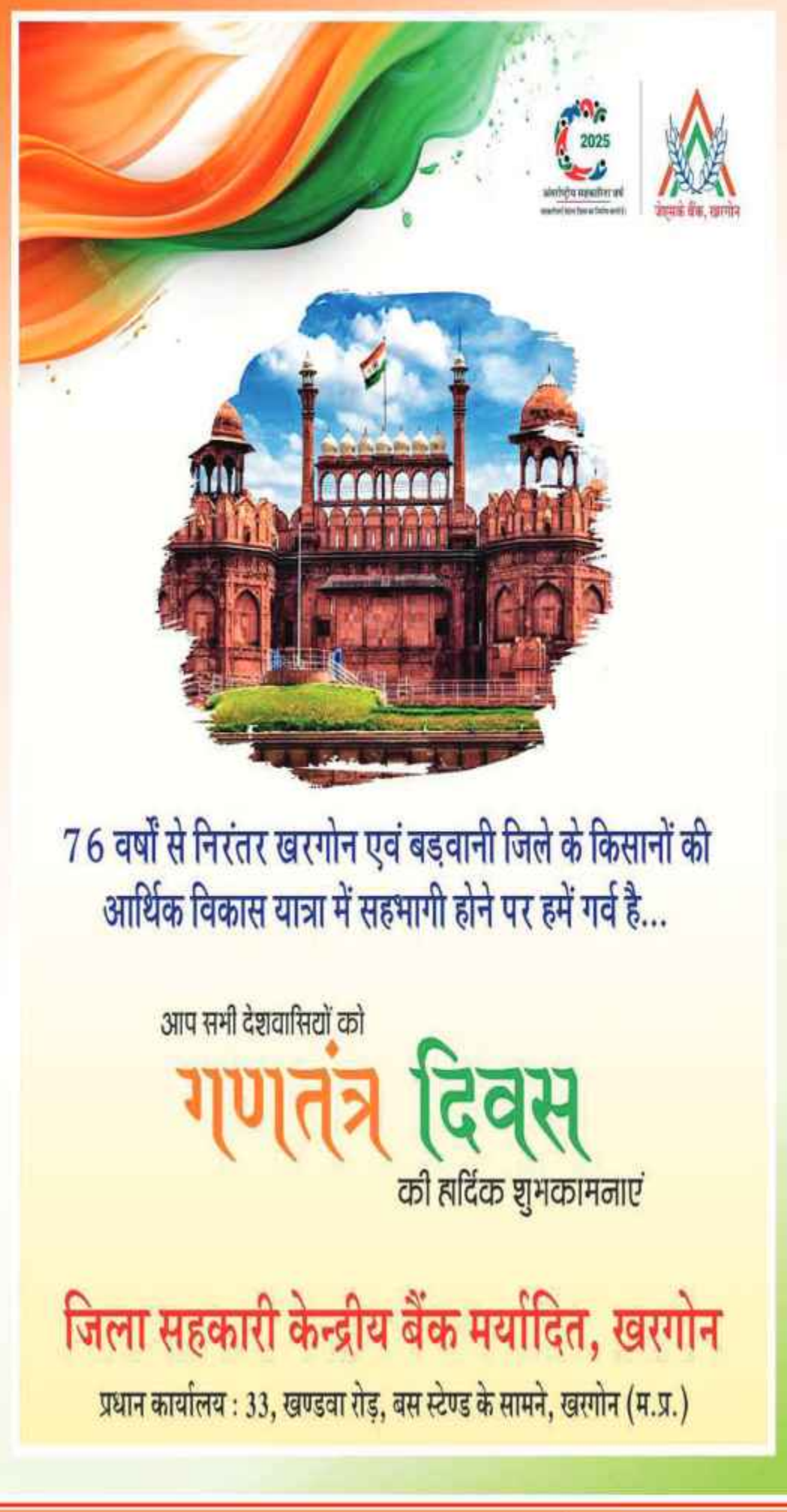

पद्मश्री किसान : गांव की पगडंडियों के रास्ते से तय किया राष्ट्रपति भवन तक का सफर

भारत के एप्पल मैन हरिमन शर्मा ने एचआरएमएन.99 किस्म से कृषि क्षेत्र में लाई क्रांति

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के एक दूरदर्शी किसान को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एचआरएमएन.99 सेब की किस्म विकसित की, जिसने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सेब की खेती को सफल बनाया। यह नवाचारी, स्व.परागण और कम ठंडक वाली सेब की किस्म सेब की खेती को पारंपरिक समशीतोष्ण क्षेत्रों से परे ले गई है,जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। श्री शर्मा की यात्रा, साधारण पृष्ठभूमि से एक राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक, जमीनी स्तर के नवाचारों की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाती है।

ऐसा रहा गांव की पगडंडी के रास्तों पर चलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का सफर- नवाचारों के लिए जाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश के किसान हरिमन शर्मा ने एचआरएमएन.99 नामक सेब की स्व.परागण और कम ठंड में उगने वाली किस्म विकसित की हैए जिसने देश में सेब की बागवानी में बड़ा परिवर्तन ला दिया है। इससे कम ठंडे और मैदानी इलाकों में भी सेब की बागवानी संभव हो गई है और इस फल का दायरा बढ़ा है।

आम तौर पर सेब की किस्मों को समशीतोष्ण जलवायु और लंबे समय तक ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, लेकिन हरिमन शर्मा द्वारा विकसित एचआरएमएन.99 किस्म के सेब की बागवानी उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और मैदानी क्षेत्रों में भी हो सकती हैए जहां गर्मियों में तापमान 40.45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस किस्म के चलते अब उन क्षेत्रों में भी सेब की खेती संभव हो सकती है, जहां पहले इसे अव्यवहारिक माना जाता था। बचपन में ही अनाथ हो गये हरिमन शर्मा का बिलासपुर के छेटे से गांव पनियाला से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक है। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी की और खेती.किसानी और फल उपजाने के अपने जुनून को बनाए रखा।

1998 में की थी शुरुआत

सेब की एचआरएमएन.99 किस्म की शुरुआत 1998 में तब शुरू हुई जब हरिमन शर्मा ने अपने घर के पिछले हिस्से में सेब के कुछ बीज बोये। इनमें से एक बीज उल्लेखनीय रूप से अगले वर्ष अंकुरित हो गया और 1,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित पनियाला की गर्म जलवायु के बावजूद 2001 में पौधे ने फल दिये। हरिमन शर्मा ने सावधानीपूर्वक मातृ पौधे की देखभाल की और ग्राफ्टिंग द्वारा कई पौधे लगाए और अंततः सेब का एक समृद्ध बाग तैयार कर लिया। अगले दशक में, उन्होंने विभिन्न प्रयोगों और ग्राफ्टिंग तकनीकों की मदद से सेब की अभिनव किस्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में उनके काम की तरफ कृषि और वैज्ञानिक समुदायों का अधिक ध्यान नहीं गया।

2012 में मिली विशेष किस्म की पहचान

वर्ष 2012 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान ने हरिमन शर्मा के इनोवेशन को पहचाना। एनआईएफने सेब किस्म की विशिष्टता की पुष्टि की और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विभागों, किसानों और देश भर के स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर आणविक अध्ययन, फल गुणवत्ता परीक्षण और बहु.स्थान परीक्षण की सुविधा प्रदान कर इसके सत्यापन में सहयोग दिया। इन प्रयासों के माध्यम से, यह किस्म 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गई है। इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भी लगाया गया है। एनआईएफ ने इस किस्म के पंजीकरण को पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरणए नई दिल्ली में सुगम बनाया।

क्या है विशेषता

सेब की एचआरएमएन.99 किस्म की विशेषता इसका धारीदार लाल.पीला छिलका, मुलायम और रसदार गूदा तथा प्रति पौधा सालाना 75 किलोग्राम तक फल देने की क्षमता है। सेब की इस किस्म की बागवानी से देश में हजारों किसान लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन ने इसकी व्यावसायिक बागवानी को बढ़ावा देने में भी मदद की। परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों में इस किस्म के एक लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं, जो किसानों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत हैं।

हरिमन शर्मा के नवाचार ने न केवल भारत में सेब की खेती को बदल दिया है, बल्कि असंख्य किसानों को अतिरिक्त आय और बेहतर पोषण प्राप्त करने में भी मदद की है। उनके प्रयासों से, कभी अमीरों का आहार माना जाने वाला सेब, अब आम आदमी की पहुंच में है। उन्हें पद्म श्री से किया जाना राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास में जमीनी स्तर पर नवाचारों की शक्ति को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पनियाला गांव में जन्म। बचपन में माता.पिता को खो दिया। मैट्रिक तक शिक्षा पूरी की और खेती और पौध विज्ञान में रुचि के साथ आगे बढ़े। कठिनाइयों के बावजूद नवाचार के माध्यम से कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

2017 में राष्ट्रपति कर चुके है सम्मानित

अपने अभिनव प्रयासों के लिए हरिमन शर्मा को वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9वें राष्ट्रीय द्विवार्षिक ग्रासरूट इनोवेशन और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कारों के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान पुरस्कार (2016), आईएआरआई फेलो पुरस्कार (2017), डीडीजीए आईसीएआर द्वारा किसान वैज्ञानिक उपाधि (2017), राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार (2018)ए राष्ट्रीय कृषक सम्राट सम्मान (2018) जगजीवन राम कृषि अभिनव पुरस्कार (2019) और कई राज्य और केंद्र सरकार के पुरस्कार शामिल हैं।

पंचगंगा सीड्स संचालक प्रभाकर शिंदे को मिला कृषि सम्मान पुरुस्कार'

'खेती. किसानी को बढ़ावा देने में दे रहे महत्वपुर्ण योगदान

'हलधर किसान. इंदौर। पुणे स्थित कृषि महाविद्यालय की ओर से कृषि' 'सम्मान पुरस्कार से पंचगंगा समूह के संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को प्रदान किया गया है।' 'यह पुरस्कार राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल शनिवार को कृषि महाविद्यालय में आयोजित समारोह के दौरान दिया गया।' 'कृषि सम्मान पुरस्कार मिलने पर श्री शिंदे ने हलधर किसान संवाददाता श्रीकृष्णा दुबे से मोबाइल पर चर्चा करते हुए उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई व' 'शुभकामनाएं दी। चर्चा में श्री शिंदे ने कहा कि इस सम्मान के लिए सभी बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा केंद्र व प्रदेश सरकार की किसान और कृषि व्यापार उपयोगी नीतियों से ही किसानों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस उपलब्धि में पंचगंगा सीड्स के समस्त स्टॉफ भी हिस्सेदार है। इस सम्मान के लिए महाविद्यालय प्रबंधन का आभार, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना।'

'इस सम्मान तक पहुंचने में शिंदे की यात्रा इतनी सरल नही रही। महाराष्ट्र के ग्राम खुपटी तहसील नवासा जिला अहिल्या नगर जो पहले अहमदनगर के नाम से जाना था, के एक ग्रामीण गांव से शुरू हुआ संघर्ष कठिन और प्रेरणादायक दोनों रहा है। 1996 में बीएससी कृषि में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने नेवासा शहर में एक कृषि सेवा केंद्र व्यवसाय शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले संभाजीनगर जिले के बिडकिन में छोटे पैमाने पर प्याज बीज प्रसंस्करण उद्योग शुरू किया।' 'इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के बाद, उन्होंने वालुंज औद्योगिक विकास निगम में आठ एकड़ क्षेत्र में एक विशालए अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण उद्योग शुरू किया। आज उनके विभिन्न प्रकार के बीज भारत के 14 से अधिक राज्यों में वितरित किए जा रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के किसान परिवार में जन्मे किसान के बेटे की यह महान उपलब्धि न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के किसानों के लिए भी सफलता की कहानी है।''पंचगंगा सीड्स ग्रुप देश में प्याज बीज उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा हैए और पंचगंगा सीड्स सब्जी और दलहन फसलों में देश में अग्रणी है। वर्तमान में उन्होंने गन्ना किसानों को सौगात देते हुए आधुनिक सुगर फैक्ट्री की भी शुरुआत की है।'

बिना मिट्टी की खेती का नाम है हाइड्रोपोनिक्स

बढ़ते शहरीकरण के कारण एक ओर खेती का रकबा सिकुड़ रहा है तो दूसरी तरफजलवायु परिवर्तन से भी फसल उत्पादन में चुनौतियां उभर रही हैं। इनसे निपटने और फसलों की बेहतर पैदावार के लिए हाइड्रोपोनिक खेती किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हाइड्रोपोनिक खेती की एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। इस पद्धति में मिट्टी के बजाय सिर्फपानी या फिर बालू अथवा कंकड़ों के बीच पौधों की खेती की जाती है। नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85 फीसद आर्द्रता में हाइड्रोपोनिक खेती की जाती है।

विशेष घोल का होता है इस्तेमाल- वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोपोनिक पद्धति में पौधों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए जरूरी पोषक तत्व एवं खनिज पदार्थों से युक्त एक विशेष घोल का उपयोग किया जाता है। इस घोल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर और आयरन जैसे तत्वों को खास अनुपात में मिलाया जाता है। एक निश्चित अंतराल के बाद इस घोल की एक निर्धारित मात्र का उपयोग पौधों को पोषण देने के लिए किया जाता है।

सीमित स्थानों पर होगी खेती- इस प्रणाली की एक खास बात यह है कि छोटे भूखंड या सीमित स्थान में भी खेती की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक प्रणाली मौसम, जानवरों व किसी भी अन्य प्रकार के बाहरी जैविक या अजैविक कारकों से प्रभावित नहीं होती। हाइड्रोपोनिक खेती में पानी का किफायती उपयोग इसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है।

शुरुआती लागत है अधिक- वैज्ञानिकों ने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन भविष्य में यह किसानों को बेहतर लाभ प्रदान कर सकती है। आइएचबीटी के वैज्ञानिक कम लागत वाली हाइड्रोपोनिक प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे इसका लाभ छोटे किसानों को भी मिल सके।

आधुनिक पद्धतियों को सीखना जरूरी- बेहतर गुणवत्ता की फसलों की खेती करने के लिए किसानों को तकनीक आधारित आधुनिक कृषि पद्धतियों को सीखना जरूरी हो गया है। हाइड्रोपोनिक कृषि उत्पादों की बड़े शहरों में काफी मांग है। युवा किसान पोषक तत्वों से समृद्ध मसाले, हर्बल और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन के लिए स्टार्टअप व्यवसाय के रूप में हाइड्रोपोनिक प्रणाली को अपना सकते हैं।

संपादकीय

क्या है हाइड्रोपोनिक- हाइड्रोपोनिक को एक्वाकल्चर, न्यूट्रीकल्चर और जल कृषि के नाम से भी जानते हैं। शहरी और उप.नगरीय क्षेत्रों में यह बड़े पैमाने पर प्रचलित हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहरों के कई सुपरमार्केट्स में बिकने वाले लैट्यूस एवं पालक जैसी हरे पत्तेदार सब्जियों से लेकर, खीरा, टमाटर, मिर्च तक कई उत्पाद मिट्टी में नहीं उगाए जाते, बल्कि इनकी खेती हाइड्रोपोनिक पद्धति से होती है। खेती के परंपरागत तरीके में मिट्टी में फसलें उगायी जाती हैं। मगर, यहां मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती हैए बल्कि हाइड्रोपोनिक पद्धति में केवल पानी या फिर बालू और कंकड़ में फसलों की खेती की जाती है। विशेषज्ञों की मानें तो हाइड्रोपोनिक पद्धति में 15 से 30 डिग्री तापमान और 80 से 85 प्रतिशत नमी वाली जलवायु में सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।

क्यों बढ़ रहा है चलन- हाइड्रोपोनिक टिकाऊ कृषि की एक विधि है, जो ऐसे इलाकों में अधिक उपयुक्त हो सकती हैए जहां संसाधन सीमित हैं, और कृषि उत्पादों की मांग अधिक है। ठंडे क्षेत्रों, रेगिस्तान, और कृषि भूमि की कमी वाले क्षेत्रों में इस पद्धति का उपयोग अधिक फायदेमंद हो सकता है। बदलती जलवायु चुनौतियों को देखते हुए भी जल.कृषि को एक कारगर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। भारत जैसे देश में, जहां संसाधनों का वितरण असमान है, हाइड्रोपोनिक्स तेजी से लोकप्रिय हो रही है, और मुनाफा भी दे रही है। मिट्टी में खेती नहीं होने से यहां न जुताई की जरूरत पड़ती है, न खेत में पाटा लगाना पड़ता है और बार.बार सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती।

होली पर रहेगा चंद्रग्रहण का साया, भारत में नहीं होगा सूतक

13 को होगा दहन, 14 को खेली जाएगी रंगों की होली

हलधर किसान

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी)

अजमेर। रंगों का त्यौहार होली इस 14 मार्च को है। लेकिन इस त्यौहार पर चंद्रग्रहण का साया मंडरा रहा है, जिसके कारण लोग थोड़ा चिंतित है कि आखिर रंगों के इस पर्व को कैसे मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी) अजमेर ने बताया पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 मार्च 2025 को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर होगा। पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर होगा। होलिका दहन होली से एक दिन पहले यानी 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11 बजकर 26 मिनट से 14 मार्च की मध्यरात्रि 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। रंग वाली होली 14 मार्च को खेली जाएगी।

भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजकर 27 मिनट से उप छाया ग्रहण शुरू होगा। सुबह 10 बजकर 39 मिनट तक आंशिक हो जाएगा और सुबह 11 बजकर 56 मिनट तक पूर्ण चंद्रग्रहण के रूप में समाप्त हो जाएगा।

भारतीयों के लिए खुशी की बात ये है कि साल का पहला चंद्रग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिसके कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप रंगों का पर्व आसानी से मना सकेंगे। साल 2025 का पहला चंद्रग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर, एशिया के कुछ हिस्से, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर और यूरोप में आएगा नजर।

इसके बाद साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। यह ग्रहण 9 बजकर 9 बजकर 57 मिनट से शुरू होगा और रात 12 बजकर 23 मिनट पर समाप्त। यह एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा और जो भारत में देखा जा सकेगा।

29 मार्च को होगा पहला सूर्यग्रहण

भारतीय समयानुसार पहला सूर्य ग्रह 29 मार्च को दोपहर 2 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 13 मिनट तक रहेगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिका महासागर और अर्कटिका महासागर में नजर आएगा।

साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। यह ग्रहण रात 11 बजे शुरू होगा और देर रात 3 बजकर 24 मिनट पर समाप्त। यह ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलानेशिया, दक्षिणी पोलिनेशिया व पश्चिमी अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा।

वर्ग पहेली-7

बाएं से दाएं

1. पति का छोटा भाई (3)
3. जानने वाला (4)
6. नदी के बहने की ध्वनि (4)
8. जय का सामूहिक स्वर (4)
9. कालिमा, काला धब्बा (3)
11. विनम्र, झुका हुआ (2)
13. एक मसाला (5)
16. बहुत बड़ा, विशाल (2)
17. अच्छी लिखावट (3)
19. छोटा कमल (4)
20. सभा का कमरा (4)
23. कबूतर (4)
24. सौ वर्ष का (3)

ऊपर से नीचे

2. उत्तराधिकार का लेखपत्र (4)
3. षड्यंत्र, जालीदार रचना(2)
4. नाक (2)
5. एक देवी, हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन स्थल (3)
6. अभागा, दुर्भाग्यशाली (5)
7. गर्भाशय, उदर, पेट (2)
8. पिता (3)
10. लिखावट (2)
12. सोने का कमरा (5)
14. साहित्य की एक विधा (3)
15. नीचे (2)
16. गंदगी, मैलापन (4)
17. शराब (2)
18. एक संक्रामक रोग (3)
21. विचार, दर (2)
22. टुकड़ा (2)

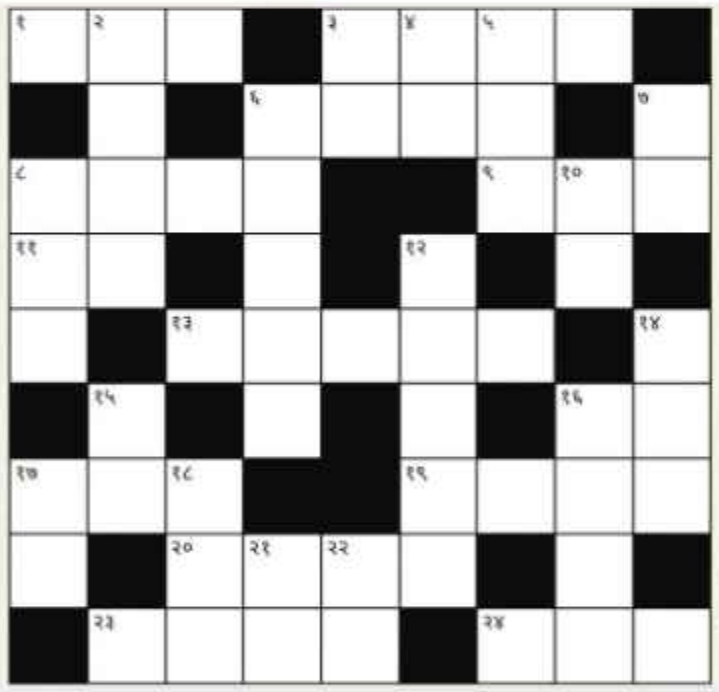

वर्गपहेली 6 का सहीउत्तर

१यौ	२व	न		३भ	४व	५दी	य	
	सुं		६उ	ला	ह	ना		७शी
८अं	ध	कू	प			९र	१०मे	श
११ज	रा		नि		१२आ		ला	
ली		१३वि	वे	क	वा	न		१४म
	१५शो		श		ग		१६कृ	ल
१७प्र	भा	१८त			१९म	हा	श	य
था		२०प	२१ला	२२य	न		ल	
	२३न्यू	न	त	म		२४ह	ता	शा

सीसीबी की रीति नीति हमेशा किसान हितैषी रही : सांसद ज्ञानेश्वर पाटील

सीसीबी प्रबंधक बाले योजनाओं के प्रचार- प्रसार के लिए चलाया जा रहा "ग्राहक जागरूकता अभियान"

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

खरगोन। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की रीति एवं नीति हमेशा से किसानों के हित में रही है। बैंक किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराती है तथा बैंक को ब्याज की भरपाई शासन के द्वारा की जाती है। ऐसे किसान जो किन्ही कारणों से कालातीत हो गये है उनसें में आव्हान करता हूं कि वह कालातीत ऋण की राशि जमा कराकर शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज योजना का लाभ उठावें। सहकारी बैंक से जुड़कर समृद्धि लाये।

उक्त विचार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन द्वारा झिरन्या में आयोजित ग्राहक जागरूकता अभियान कार्यक्रम के दौरान खरगोन/खण्डवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने बतौर मुख्य अतिथी व्यक्त किए। उन्होंने कहा खरगोन सहकारी बैंक प्रदेश में अग्रणी सहकारी बैंक का गौरव हासिल किये हुये है। जिले के अधिकाधिक किसान बैंक से जुड़कर बैंक की योजनाओं का लाभ उठावें जिससे एक ओर बैंक भी आर्थिक रूप से समृद्ध होगी तथा दूसरी ओर जिले का किसान भी आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। हमारा सपना है, कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन देश के अग्रणी सहकारी बैंक में शुमार हो इस हेतु बैंक के कर्मचारियों एवं जिले के किसानों, जन प्रतिनिधियों के द्वारा मिल जुलकर प्रयास करना चाहिए। इस दौरान सांसद द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के नियमित ऋण अदा करने वाले विशिष्ट ऋण जमाकर्तो तथा बैंक शाखाओं के विशिष्ट अमानतदारों को शाल, श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कृषकों के साथ रखें अच्छा व्यवहार

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष नन्दा बाहम्णे द्वारा बैंक एवं संस्था कर्मचारियों से आग्रह किया गया कि वह अपना व्यवहार कृषको के प्रति सहज एवं सरल रखें, ताकि अधिकाधिक किसान संस्थाओं से जुड सकें। उनके द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि किसी कारण से यदि कोई किसान कालातीत हो गया है तो उसे पुनः मुख्य धारा में लाने के लिये समझाईश दी जावें न कि उसे डराया जावें। ताकि वह किसान सहकारी समितियों से जुडकर शासन की शून्य प्रतिशत

योजना का लाभ ले सकें।

सीसीबी की योजनाएं अन्य बैंकों की तुलना में आकर्षक

स्वागत भाषण के दौरान संबोधित करते हुए बैंक प्रबंध संचालक पीएस धनवाल के द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा गया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन की अनेक ऋण योजनाऐं एवं अमानत योजनाऐं है, जो अन्य बैंको की तुलना में आकर्षक है उनका व्यापक प्रचार.प्रसार करने हेतु ही "ग्राहक जागरूकता अभियान" चलाया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक लोग उनका लाभ उठा सके। प्रबंध संचालक के द्वारा कहा गया, कि बैंक वर्तमान में अमानतों पर सर्वाधिक ब्याज दे रहा है इसका लाभ उठाने का आव्हान किया गया। इस दौरान ग्राहक जागरूकता रथ को सांसद पाटील के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में जिला सहकारी बैंक की शाखा झिरन्या, बमनाला, अंजनगांव, गोराडिया एवं नगर शाखा भीकनगांव तथा इनसे संबंधित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा भाग लिया गया।

निकाली वाहन रैली

वाहन रैली कृषि उपज मण्डी से प्रारम्भ होकर, मुख्य बाजार, तिल्ली खला, चिरिया रोड़, से होते हुये कृषि उपज मंडी में जाकर रैली समाप्त की गई। रैली के दौरान व्यापारियों को बैंक की अमानत एवं ऋण योजनाओं के पम्पलेट वितरित किये जाकर उनसे आग्रह किया गया, कि बैंक की योजनाओं का वह लाभ उठावें।

यह रहे उपस्थित

कार्यक्रम में संगीता नार्वे जनपद अध्यक्ष झिरन्या, दिलीप जोशी, सत्येन्द्र चौहान पूर्व बैंक संचालक, नितिराज सिंह तोमर, धुलसिंह डॉबर पूर्व विधायक, कांशीराम अवासे उपायुक्त सहकारिता, नकूल कापसे, अनिल कानुनगों बैंक प्रबंधक, शाखा प्रबंधक तुमेरसिंह मंडलोई, ओमप्रकाश रघुवंशी, अरूण पाटीदार, चन्द्रशेखर यादव, गजानंद निहाले, अब्दुल वहाब शेख, विक्रम सनोरे, सुरेश यादव, दिपेश शर्मा, पुनित तारे मंच संचालक सहित बडी संख्या में क्षेत्र के कृषक एवं अमानतदार तथा सम्भावित ग्राहक उपस्थित रहे।

आर्थिक सर्वेक्षण : कृषि आय में 5.23 : बढ़ोतरी का दावा, सरकार का उत्पादन बढ़ाने पर जोर

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र
हलधर किसान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024.25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024.25 के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है।

सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 10 सालों में सालाना कृषि आय 5.23 प्रतिशत बढ़ी है। इस दौरान गैर.कृषि आय में हर साल 6.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025.26 में 6.3.6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में इसमें 6.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2023.24 में 8.2 प्रतिशत रही थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024.25 में कहा गया कि कृषि और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसने देश की आय और रोजगार में बड़ा योगदान दिया है। पिछले सालों में, कृषि क्षेत्र ने सालाना औसत 5 प्रतिशत का मजबूत इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2024.25 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2015 में 24.38 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 30.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2024 में खरीफ अनाज का उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान लगाया गया हैए जो पिछले साल की तुलना में 89.37 एलएमटी का इजाफा है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018.19 के केंद्रीय बजट में सरकार ने फसलों के उत्पादन का भारित औसत मूल्य कम से कम 1ण्5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने का फैसला किया था। इन पहलों के अंतर्गत सरकार ने पोषक अनाज, दलहन और तिलहन के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2024.25 के लिए अरहर और बाजरा के एमएसपी को 59 प्रतिशत और उत्पादन के भारित औसत मूल्य का 77 प्रतिशत बढ़ाया है। इसके अलावा मसूर की एमएसपी को 89 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जबकि रेपसीड में 98 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है।आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजना के विकास और जल संरक्षण के कई नए तौर.तरीकों को प्राथमिकता दे रही है। वित्त वर्ष 2016 से वाटर कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ष्प्पर ड्रॉप मोर क्रोप पहल को लागू कर रही है। पीडीएमसी के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों को लगाने के लिए छोटे किसानों को कुल परियोजना लागत का 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जा रही है। वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2024 दिसंबर 2024 तक, राज्यों को पीडीएमसी योजना कार्यान्वयन के लिए 21968.75 करोड़ रुपए दिए किए गए हैं और इसमें 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है, जोकि पहले की.तुलना में 104.67 प्रतिशत अधिक है। सूक्ष्म सिंचाई निधि के अंतर्गत राज्यों को नई परियोजनाओं के लिए लोन में 2 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2024.25 में कहा गया कि सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए कृषि विकास और जल संरक्षण परिपाटियों को प्राथमिकता दी है। वित्त वर्ष 2015.16 और वित्त वर्ष 2020.21 के बीच सिंचाई क्षेत्र का कवरेज सकल फसली क्षेत्र 49.3 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है, जबकि सिंचाई की सघनता 144.2 प्रतिशत से बढ़कर 154.5 प्रतिशत हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2015.16 के वित्तीय वर्ष से, सरकार किसानों को सिंचाई को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, प्रति बूंद अधिक फसल पहल को लागू कर रही है। पीडीएमसी योजना के लिए राज्यों को 21968.75 करोड़ रुपए जारी किए गए और 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गयाए जो प्री.पीडीएमसी अवधि की तुलना में लगभग 104.67 प्रतिशत अधिक है।आर्थिक सर्वेक्षण 2024.25 के मुताबिक, सभी किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के वंचित वर्गों को उपलब्ध कराई जा रही ऋण सहायता उनकी आमदनी तथा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 तक देश में 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हो रहे हैं और इन पर 9.81 लाख करोड़ रुपये का ऋण अधिशेष है। 31 मार्च 2024 तक मत्स्य पालन कार्यों के लिए एक लाख 24 हजार किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालन गतिविधियों हेतु 44 लाख 40 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे।

वित्त वर्ष 2025 से संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत दावों और भुगतान करने में तेजी लाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा रही है। जिसने योजना के क्रियान्वयन को गतिशील और अधिक प्रभावी बना दिया है। 31 दिसम्बर 2024 तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटान किया जा चुका था। सरकार की योजनाएं जैसे किसानों को सीधे धनराशि अंतरित करने वाली पीएम.किसान तथा किसानों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सफलतापूर्वक किसानों की आमदनी बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही हैं। पीएम.किसान योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक किसानों ने लाभ उठाया है और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 23 लाख 61 हजार किसानों ने स्वयं का नामांकन कराया है।

इन योजनाओं के अलावा कई अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ;पीडीएसद्ध और लक्षित पीडीएस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ग्रामीण आबादी का करीब 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

बीज कानून पाठशालाः

बीज क्रय-विक्रय सम्बन्धी सूचनाएं...

(सौजन्य से- संजय रघुवंशी, प्रदेश संगठन मंत्री कृषि आदान विक्रेता संघ
- श्रीकृष्णा दुबे, जिलाध्यक्ष जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर)

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र
हलधर किसान

इंदौर। बीज अधिनियम 1966 बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए है जबकि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 बीजों की बिक्री को नियमित करने का कानून है। इस नियन्त्रण आदेश के तहत ही बीज विक्रय हेतु लाइसेंस लेना आवश्यक है। इस आदेश के द्वारा बीज व्यापारियों पर कुछ दायित्व डाले गये हैं और व्यापारी जन उसमें चूक कर जाते हैं। जो इस प्रकार है-

1. मासिक रिपोर्ट-

बीज नियन्त्रण आदेश की धारा.18 (2) में प्रावधान है कि फार्म- डी में एक माह के बीज आवक जावकए विक्रय एवं शेष बीज का विवरण अगले माह की 5 तारीख तक बीज लाइसेंसिंग अथॉर्टी को दे परन्तु व्यापारी नियमित रूप से नहीं दे पाते और बीज निरीक्षक जब भी दुकान पर निरीक्षण करने आता है वह प्रथम आरोप मासिक क्रय.विक्रय रिपोर्ट न देने का लगाता है अतः निवेदन है कि मासिक रिपोर्ट लाइसेंसिंग अधिकारी को अवश्य भिजवाएं।

2.स्टॉक प्रदर्शन -

बीज नियन्त्रण आदेश की धारा.8 (ए) में प्रावधान है कि व्यापारी अपना स्टॉक का अपनी दुकान/ फर्म पर दैनिक प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन व्यापारी बोर्ड लगा कर, टाईप करके भी लगा सकते हैं। यह काम दुकान खुलते ही करना चाहिए अन्यथा लाइसेंसिंग प्राधिकारी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा।

3. मूल्य प्रदर्शन-

बीज नियन्त्रण आदेश की धारा.8 (बी) में उल्लेख है कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान पर दैनिक रूप से अपने बीजों के मूल्य का प्रदर्शन करना चाहिए। जिसके अभाव में लाइसेंसिंग अधिकारी कार्यवाही कर सकता है।

4. लाइसैंस में संशोधन

बीज विक्रय लाइसैंस किसी जिले, प्रान्त, राज्य के लिए नहीं होता है। न ही कोई फुटकर, थोक विक्रय लाइसैंस होता है, न ही कोई सैन्ट्रल लाइसैंस होता है। बीज व्यापारी की निशानदेही पर किसी स्थान / दुकान पर फर्म/कम्पनी को बीज विक्रय का लाइसेंस दिया जाता है जिसके आधार पर वह प्रत्येक शहर, तहसील, जनपद, राज्य में ही नहीं पूरे विश्व में बीज व्यापार कर सकता है।

बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा.17 में लाइसेंस में संशोधन करवाने का प्रावधान है जिसकी फीस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी मात्र 10/. रुपये फीस है। आपकी फर्म की दुकान किन्हीं कारणोंवश दूसरे स्थान में स्थानान्तरित हो गई है तो तुरन्त लाइसैंस में पता बदलवाने का प्रार्थना पत्र दें अन्यथा बीज लाइसेंसिंग अधिकारी के शिकार हो जाओगे। लाइसैंस व्यापारी को उसके द्वारा लाइसेंसिंग अधिकारी को दिए गये पते पर दिया जाता है और संशोधन न करवाने पर व्यापारी अपराधी है। इसी प्रकार कम्पनी के प्रोपराईटर, एम.डी या जिम्मेदार व्यक्ति पार्टनर में किन्हीं कारणों से बदलाव आता है तो उसमें संशोधन करवा लें। सरकारी संस्थाएं जिस अधिकारी के नाम से लाइसैंस बना हुआ है उसका दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर भी नाम में संशोधन करवा लेना चाहिए अन्यथा उसके स्थानान्तरण के बाद सैम्पल असामनक होने या अन्य कोई अनियमितता होने पर अधिकारी न्यायिक दण्ड का अधिकारी होगा।

5. रिकॉर्ड बनाना-.

बीज नियन्त्रण आदेश.1983 की धारा.18 के अनुसार बीज व्यापारियों को स्टॉक रजिस्टर्ड रखने और विधिवत रूप से उनमें प्रविष्टियाँ करने का दायित्व दिया है परन्तु व्यापारी दैनिक रूप से प्रविष्टियाँ करने में चूक करते है और लाइसेंसिंग अधिकारी के कोप का भाजन बनना पड़ता है।

''खेती कहावत''

बैल चौकना खेत में और घर में चमकीली नार बैरी है ये जान के भली करे करतार।

लेखक- आर. बी सिंह, बीज कानून रव, एरिया मैनेजर (सेवानिवृत) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि. भारत सरकार का संस्थान सम्प्रति कला निकेतन, ई.70, विधिका.11, जवाहर नगर, हिसार.125001 हरियाणा सम्पर्क.- 79883.04770, 94667. 46625

गेहूं और चने की फसल में रोगों का इन तरीकों से करें बचाव

भोपाल। वर्तमान में रबी सीजन में फसलें बेहतर स्थिति में होने के साथ ही मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण गेहूं एवं चना में रोग एवं कीटों के प्रकोप होने की पूरी संभावना भी बनी हुई है। जिसको देखते हुए कृषि विकास विभाग के मैदानी अमले द्वारा खेतों का भ्रमण करके फसलों में कृषकों को आने वाली समस्याओं से रूबरू कराते हुए उनके बेहतर उपायों से अवगत कराया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने गेहूं और चने में रोगों को लेकर अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस वक्त किसानों को ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। अगर हल्की सी लापरवाही होती है तो फसल बर्बाद हो सकती है। वैज्ञानिकों ने फसलों को बड़े नुकसान से बचाने का तरीका भी बताया है।

गेहूं की फसल के लिए क्या है सलाह?

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु क्लोरपायरीफांस 20 ईसी @ 2.0 लीटर प्रति एकड़ 20 किग्रा बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दें। इसके अलावा इन दिनों गेहूं में कई तरह के रोगों का भी खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर रतुआ रोग की संभावना ज्यादा है। ऐसे में इसकी निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन एम.45 (2.5 ग्राम/लीटर पानी) का छिड़काव करें। पीला रतुआ के लिये 10.20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर रोग का फैलाव नहीं होता। भूरा रतुआ के लिये 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नमी युक्त जलवायु आवश्यक है। काला रतुआ के लिये 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान ओर नमी रहित जलवायु आवश्यक है।

चने की फसल के लिए क्या है सलाह?

वैज्ञानिकों ने चने की फसल के लिए भी सलाह जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चने में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फीरोमोन प्रपंश @ 3.4 प्रपंश प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 40.45 प्रतिशत फूल खिल गये हों। टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाए।

45 वर्षो से आपके विश्वास का साथी
Since 1975
बीज भंडार ©
उन्नत खेती के उत्तम बीज
हमारे यहाँ सभी कम्पनियों के उन्नत किस्मों के उत्तम बीज मिलते है।
ब्रांच - खरगोन, खंडवा, अंजड, महु, राजपुर, धामनोद, कुक्षी, मनावर, छींदवाडा, इन्दौर, जबलपुर, मण्डलेश्वर, कालापीपल, पुंजापुरा
बीज भंडार की फ्रेंचाइजी लेने के लिए सम्पर्क करें - 78794 28271

कृषि सलाह: बसंतकालीन फसलों के साथ इन 19 प्रकार की अन्य दलहन, तिलहन, सब्जियों की भी कर सकते है बुआई

भोपाल। प्रदेश में सिंचाई के साधन बढ़ने से किसान अब 12मासी फसलें ले रहे है। खरीफ, रबी के बाद अब बसंतकालीन फसलों की तैयारियां भी शुरु होने वाली है। ऐसे में गन्ने की बिजाई के साथ किसान अन्य 19 प्रकार की दलहन, तिलहन, सब्जियों की फसलें भी ले सकते हैं, जिनके सही रखरखाव से बंपर उत्पादन लिया जा सकता है। रबी फसलें कटाई से पहले शासन स्तर पर बसंतकालीन फसलों के रकबे का सर्वे भी शुरु कर दिया गया है।

उत्तरप्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के साथ मप्र में भी गन्ने की पैदावार होती है। किसान भाई वर्तमान समय में सीओएच.160 सीओएच.167 किस्मों की बिजाई कर सकते हैं। इन किस्मों में गन्ना ढहने की समस्या भी कम है और उत्पादन भी प्रति एकड़ 350 से 400 क्विंटल तक होता है। यही नहीं इनमें चीनी भी काफी अच्छी है और शुगर मिल इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं। कई किसान गन्ने के साथ अंतरवर्ती फसलें भी लेते है।

खेत तैयारी

खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा इसके बाद 6.8 जुताई देसी हल से करके सुहागा लगाएं। एक एकड़ के लिए 35.40 क्विंटल गन्ने यानी करीब 35000 दो आंखों वाले टुकड़ों या 23000 तीन आंखों वाले टुकड़ों की जरूरत होती है। गन्ना बोने से पहले मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं।

वैज्ञानिकों के अनुसार किसान भाई किसी एक किस्म के पीछे न पड़ें। सभी तरह की किस्में खेत में लगाएं। इससे बीमारियां फसल में कम लगेंगी और फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान एक ही किस्म का गन्ना खेत में उगाते हैं, इससे बीमारी बढ़ने या लॉजिंग होने पर काफी नुकसान हो जाता है।

गन्ने की फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग के रुप में दलहन, तिलहन की फसल भी ले सकते हैं। इसके अलावा मटर, मसूर, सरसों, गेहूं, बेल वाली सब्जियां जैसे घीया, तोरी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, चप्पलकद्दू सहित कई अन्य सब्जियां भी ली जा सकती हैं। ये सब्जी किसान भाई मई के अंत तक ले सकते हैं। इससे गन्ने की फसल पर आने वाला पूरा खर्च निकाला जा सकता है।

प्राकृतिक आपदा में भी गन्ना बेहतर

प्राकृतिक आपदाओं ओलावृष्टि, पाला, अतिवृष्टि एवं सूखे जैसी विपरीत परिस्थितियों को भी गन्ना फसल सहने की क्षमता रखती है। गन्ना फसल से अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन लागत कम करने के साथ.साथ इसी प्रति एकड़ पैदावार बढ़ानी जरूरी है।

खेती तैयारी और उन्नत किस्में

खेत की तैयारी के समय आठ.10 टन गोबर की गली.सड़ी खाद डालकर मिला दें। खेत की तीन.चार बार जुताई करके सुहागा लगाकर खेत तैयार कर लें। गन्ने की सीओजे.64, 85, सीओ.0118, 0238, 0239 अगेती पकने वाली उन्नत किस्में हैं। मध्यम किस्में सीओएच.99, 119, सीओएस.8436, 88230 तथा पछेती पकने वाली सीओएस.767, सीओएच.110, सीओएच.152, सीओएस.8432 उन्नत किस्में बोने के लिए अनुमोदित है।

बोने का समय व बीज की मात्रा

बसंतकालीन गन्ने की बुआई का सर्वोत्तम समय पूरा मार्च माह है। इसके बाद बिजाई करने पर पैदावार में कमी आने लगती है। गन्ने का रोग रहित व स्वस्थ बीज का चुनाव करें। गन्ने की ऊपरी दो तिहाई भाग बोने के लिए अच्छा रहता है। गन्ने की 35000 दो आंखों वाली तथा 23000 तीन आंखों वाली पोरियां या 35.40 क्विंटल बीज प्रति एकड़ डालें।

बीज व भूमि उपचार

गन्ना की पोरियों को 250 ग्राम एमिसान या डाइथेन.एम.45 दवा से बनाए गए 100 लीटर पानी के घोल में चार.पांच मिनट डुबोकर रखें। यह घोल एक एकड़ बीज के लिए पर्याप्त रहता है। दीमक, प्ररोह बेधक तथा भूमिगत कीटों से बचाव के लिए ढाई लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी को 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर खुड़ों में पोरियों के ऊपर फव्वारे से डालकर सुहागा लगा दें।

उर्वरक मात्रा व बुआई विधि

गन्ना में बिजाई के समय 125 किलो डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट, 35 किलो म्यूरेट पोटाश तथा 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ बीज के नीचे पोर दें। जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ खेत तैयार करते समय ही डाल दें। यूरिया का एक कट्ठा दूसरे पानी पर तथा तीसरी बार एक कट्ठा यूरिया चौथी सिंचाई पर डाल देना चाहिए। साधारण बिजाई दो से ढाई फुट की दूरी पर खुड़ों में करके सुहागा लगा दें। नाली विधि में ट्रैक्टर चालित मशीन द्वारा सवा फुट चौड़ी नालियां तीन.साढ़े तीन फुट के फासले पर बनाएं।

रखरखाव

गन्ने में सात से 10 दिन के बाद अंधसी गुड़ाई तथा जून माह तक तीन.चार बार निराई.गुड़ाई करके खरपतवार निकालनी चाहिए। रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए 1.6 किलो सीमाजीन दवा को 250.300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ बोने के दो.तीन दिन बाद छिड़कें। मोथा रोकथाम के लिए बोने के तीन हफ्ते बाद एक किलो 2.4 डी 80 प्रतिशत का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

आईएमडी की चेतावनी, इस साल फरवरी से ही देखेगा गर्मी का प्रकोप, सूखे के बन सकते है हालात

नईदिल्ली। इस साल शीत ऋतु की जल्दी विदाई के साथ ही फरवरी माह से ही सूरज के तीखे तेवर देखने को मिल सकते है। यह भविष्यवाणी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने की है। आईएमडी ने कहा है कि जनवरी के बाद फरवरी में तापमान ज्यादा रहने और सूखा का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है।

मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि जनवरी के गर्म और शुष्क रहने के बाद, फरवरी में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। फरवरी में बारिश 22.7 मिमी की लंबी अवधि के औसत (1971.2020) के 81 प्रतिशत से कम होने की संभावना है।

सामान्य से अधिक तापमान की आशंका

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि पश्चिम.मध्य, प्रायद्वीपीय और उत्तर.पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। उत्तर.पश्चिम और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में फरवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। इसी तरह, पश्चिम.मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

भारत में जनवरी में औसतन 4.5 मिमी बारिश हुई, जो 1901 के बाद से चौथी सबसे कम और 2001 के बाद तीसरी सबसे कम बारिश है। जनवरी में देश का औसत तापमान 18.98 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1901 के बाद से इस महीने का तीसरा सबसे अधिक तापमान था, जो 1958 और 1990 के बाद सबसे अधिक था। भारत ने 1901 के बाद से अपना सबसे गर्म अक्टूबर 2024 में भी दर्ज किया, जिसमें मासिक औसत तापमान सामान्य से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। नवंबर 1979 और 2023 के बाद 123 वर्षों में तीसरा सबसे गर्म नवंबर रहा।

इससे पहले, आईएमडी ने भविष्यवाणी की थी कि जनवरी और मार्च के बीच उत्तर भारत में बारिश सामान्य से कम होगी, जो 184.3 मिमी के एलपीए के 86 प्रतिशत से भी कम होगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी और उत्तर.पश्चिमी राज्य सर्दियों (अक्टूबर से दिसंबर) में गेहूं, मटर, चना और जौ जैसी रबी फसलों की खेती करते हैं और गर्मियों (अप्रैल से जून) में उनकी कटाई करते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली सर्दियों की बारिश इन फसलों की बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण है।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।